



2026:AHC-LKO:12517-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील दोषपूर्ण सं. - 128/2009

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

श्री सूर्य पाल अग्निहोत्री इंटर कॉलेज रायबरेली

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: ए.एम.त्रिपाठी, पी.आर.कनौजिया, प्रशांत अरोरा, शिवम शर्मा
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता।	: सी.एस.सी., गोपेश त्रिपाठी, ऋषभ सिंह, ज्योतिंजय वर्मा, एस. के.तिवारी

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

सी.एम.आवेदन सं. 23090/2009 पर

1. सुना गया।
2. इस आवेदन में विशेष अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने की मांग की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रतिवादियों के अधिवक्ता को विलंब क्षमादान के आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. हमने विलंब क्षमादान के आवेदन के समर्थन में दाखिल किए गए शपथपत्र को देखा है और पाया है कि उसमें उल्लिखित कारण पर्याप्त हैं।
5. तदनुसार, हम **विलंब** को क्षमा करते हैं। आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
6. इस अपील को एक नियमित क्रमांक आवंटित किया जाए।

ज्ञापन पर

1. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री शिवम शर्मा और श्री एस.एस. राजावत, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोपेश त्रिपाठी और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. अपीलकर्ता की ओर से कहा गया है कि इसी तरह की अपील खारिज होने के विरुद्ध, अपीलकर्ता की विशेष अनुमति याचिका 2 दिसंबर, 2009 को ही खारिज हो चुकी है। यह निर्णय (*उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम प्रबंधन समिति, माता तपेश्वरी सरस्वती विद्या मंदिर और अन्य*) (2010) 1 एससीसी 639 में प्रतिवेदित किया गया है।
3. उपरोक्त कथन के मददेनजर, उपर्युक्त निर्णय के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

17 फरवरी 2026

एमवीएस/-